फर्द अहकाम

सावित्री देवी बनाम अर्जुनलाल वगै.

(का)र्यालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

(संख्)या- 05/2025 T.I.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
24/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि मे किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण को मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः परिणामस्वरूप प्रा० पत्र T.I. अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 53 के आराजी ख.नं. 415, 431, 432, 433, 517, 524, 532 कुल रकबा 3.8441 हैक्टेयर व खाता सं. 157 के आराजी ख.नं. 413 रकबा 9.1676 हैक्टेयर वाके ग्राम रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। एक दूसरे के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।